न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त , अजमेर

(निर्णय बईजलास गजेन्द्र सिंह राठौड़ , आर.ए.एस., अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल0आर0ए0 संख्या 199/2020 जिला टोंक

खेमराज सिंह पुत्र श्री विजयसिंह जाति राजपूत निवासी बस्सी, तहसील निवाई जिला टोंक(राज0)

–अपीलांट

बनाम्

1. कंवरपाल पुत्र श्री हरनाथ जाति गुर्जर निवासी बस्सी तहसील निवाई जिला टोंक।
2. भू–आवंटन सलाहकार समिति, जरिये उपखण्ड अधिकारी, निवाई।

–रेस्पोडेंटस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व निर्णय न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक दिनांक 17.06.2015 जो प्रकरण संख्या 8/2013 बउनवानी कंवरपाल बनाम खेमराज सिंह पारित किया गया।

उपस्थित अभिभाषकः–श्री तेजमल जैन(अपीलांट अभि0)
रेस्पोडेंट अभिभाषकः–अनुपस्थित
राजकीय अभिभाषकः–अनुपस्थित

निर्णय दिनांकः–17.02.2023

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट को ग्राम बस्सी तहसील निवाई जिला टोंक में दिनांक 26.10.1977 को खसरा नम्बर 165 रकबा 3 बीघा, खसरा नम्बर 4014 रकबा 8 बिस्वा भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 26.10.1977 को आंवटित की गई थी। उक्त आवंटनके खिलाफ वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 1 कंवरपाल पुत्र हरनाथ जाति गुर्जर निवासी बस्सी तहसील निवाई द्वारा एक प्रार्थना पत्र जिला कलक्टर टोंक न्यायालय में नियम 14(4) भू–आवंटन नियम 1970 के तहत आवंटन निरस्त कराने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। उक्त प्रार्थना पत्र पर बाद सुनवाई उनके द्वारा दिनांक 17.06.2015 को निर्णय करते हुए प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए अपीलांट के पक्ष में किये गये आवंटन दिनांक 26.10.1977 को निरस्त कर दिया गया। जिसके विरूद्व वर्तमान अपील तत्समय न्यायालय आरएए टोंक में दिनांक 15.07.2015 को प्रस्तुत की गई थी। जिसे 23/2015 नम्बर से दर्ज किया गया था। दिनांक 15.07.2015 को ही अपीलाधीन निर्णय की पालना को तत्समय पीठासीन अधिकारी द्वारा स्थगित कर दिया गया है। न्यायालय आरएए द्वारा उक्त पत्रावली दिनांक 27.01.2020 को राजस्व विभाग ग्रुप–6 विभाग की अधीसूचना दिनांक 17.10.2019 के अनुसरण में न्यायालय हाजा का क्षेत्राधिकार होने से सुनवाई हेतु प्रेषित की गई। जिसे दिनांक 18.03.2020 को न्यायालय हाजा में प्रकरण संख्या 199/2020 नम्बर से दर्ज कर सुनवाई आरम्भ की गई है। अपील में अपीलांट द्वारा निम्न आधार बताये गये है–

1. रेस्पोडेंट नम्बर 1 कंवरपाल ने दिनांक 20.01.20[illegible] को अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने द्वारा प्रस्तुत आवेदन को खारिज करने का निवेदन किया था।

2. अपीलांट अब खातेदार काश्तकार हो चुका है। खातेदारी अधिकार मिलने पर अधीनस्थ न्याायलय को नियम 14(4) के तहत आवंटन निरस्त करने का अधिकार नहीं था। खातेदारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.03.08 10:22:27 IST
Reason: SelfAttested

मिलने के बाद नियमित वाद के द्वारा ही आवंटन निरस्त किया जा सकता था।(आरआरटी 2014(2) पेज 1150)

3. आवंटन के समय आवंटी भूमिहीन था तथा उसके द्वारा कोई फ्रॉड अथवा मिसरिप्रेजेंटेशन से आवंटन नही कराया गया।(आरबीजे 2009 पेज 645)

4. मात्र विधालय में अंकित जन्मतिथि प्रमाण पत्र को आधार मानकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट का आवंटन निरस्त किया गया है, आरआरडी 1993 सुप्रीम कोर्ट पेज 596 का हवाला देते हुए कहा है कि फाइनल अलॉटमेंट अवयस्कता के आधार पर निरस्त नहीं किया जा सकता है।

5. खातेदारी प्राप्त होने के बाद तथा आवंटी के नाम नामातंरण तस्दीक होने के बाद अवयस्कता के आधार पर अलॉटमेंट निरस्त नहीं किया जा सकता है। (आरआरडी 2001 पेज 377)

6. 40 वर्ष के पूर्व के भूमि आवंटन को निरस्त नहीं किया जा सकता है। अपीलांट आवंटन के समय में वास्तव में नाबालिग नही था। उस समय गांवों में पाठाशालाओं में अंदाज से उम्र लिखवा दी जाती थी। वास्तव में अपीलांट का जन्म सन 1956 का है। अपीलाधीन निर्णय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 17.06.2015 को निरस्त किया जायें।

अपील के साथ अपीलांट द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। स्थगन प्रार्थना पत्र के अनुसार आदेश दिनांक 17.06.2015 की क्रियान्विति को अपील के निर्णय तक स्थगित किया जाना न्याय संगत है। क्योकि उसे खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। आवंटन हुए 40 वर्ष से ज्यादा समय बीत चुका है और खातेदारी अधिकार मिलने के बाद अधीनस्थ न्यायालय आवंटन निरस्त नहीं कर सकता था। मगर उनके द्वारा आवंटन निरस्त किया गया है। यदि उक्त आदेश की क्रियान्विति को स्टे नहीं किया गया तो अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने का आदेश समाप्त हो जायेगा। उक्त प्रार्थना पत्र पर तत्समय न्यायालय आरएए द्वारा प्रथम सुनवाई में स्टे दे दिया गया।

बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील अपीलांट उपस्थित हुए। वकील रेस्पोडेंट और राजकीय अभिभाषक उपस्थित नही हुए। बहस में वकील अभिभाषक ने बताया कि आवंटी के नाम भूमि आवंटन दिनांक 26.10.1977 को किया गया था। जिसे दिनांक 17.06.2015 को निरस्त कर दिया गया। जबकि उसे खातेदारी अधिकार मिल चुके थे। कब्जा हमारा है तथा उनके द्वारा आरआरटी/2014 वोल्यूम 2 पेज 1150 तथा आरबीजे 2009 पेज 645 प्रस्तुत किये।

बहस बिन्दुओं पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अवलोकन किया गया। यह सही है कि अपीलांट को दिनांक 26.10.1977 को भूमि आवंटन किया जाकर लगभग 40 वर्ष बाद दिनांक 17.06.2015 को आवंटन निरस्त किया गया है। शिकायतकर्ता कंवरपाल द्वारा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर टोंक में दिनांक 20.01.2014 को दिनांक 14(4) की कार्यवाही समाप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। जिसे दिनांक 28.01.2014 को अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर पत्रावली पर लिया गया था। जिसमें रेस्पोडेंट द्वारा पैरा में यह अंकित किया है कि ''उक्त प्रकरण में दोनों पक्षों की आपसी सहमति से राजीनामा हो गया है। प्रार्थी उक्त मुकदमें में कोई भी कार्यवाही नहीं करना चाहता है तथा अपना मुकदमा खारिज करवाना चाहता है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि उक्त प्रकरण को खारिज कर दिया जायें। उक्त प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी का अंगूठा निशानी अंकित है तथा निशानी कंवरपाल अंकित है। उन्हें आइडेन्टीफाइड किया गया है। उक्त प्रार्थना पत्र के साथ कंवरपाल द्वारा अपना शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। जिस पर भी अंगूठा निशानी होकर निशानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:22:27 IST
Reason: Self Attested

कंवरपाल लिखा हुआ है तथा उसकी पहचान की गई है। अपीलांट खातेदार हो चुका है इस बाबत पत्रावली पर कोई विरोधाभास नही है।

एलआरएक्ट के सैक्शन 101 के अनुसार आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के प्रावधान के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के बाद जो कि उसे राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 के तहत प्राप्त होते है पर लागू नहीं माना जायेगा। जैसे ही आवंटी खातेदारी अधिकार राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत प्राप्त कर लेता है। उसके आवंटन निरस्त नही किये जायेगे।(परनीता बनाम पृथ्वीराज 1986 आरआरडी 137) जब एक आवंटी को खातेदार अधिकार प्राप्त हो जाते है तो ऐसा प्रकरण आवंटन निरस्तीकरण हेतु नियम 14(4) में कवर नही होगा। लेकिन वह बेदखली हेतु पात्र होगा। उन शर्तों के आधार जो नियम 14(4) दी गई है। सत्यदेव बनाम ग्यारसीलाल 1986 आरआरडी 741, उच्चतम न्यायालय द्वारा 1993 आरआरडी 596 में यह तय किया गया है कि यदि भूमि उम्र के गलत दस्तावेज प्रस्तुत कर प्राप्त की गई हो तो चार दशक के बाद खातेदारी प्राप्त होने के बाद इसे निरस्त करने का कोई औचित्य नहीं है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि आवंटी को आवंटन हुए 40 वर्ष से ज्यादा समय हो चुका है। खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुका है। निरतंर उसका कब्जा है। शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में रेस्पोडेंट 2 द्वारा प्रार्थना पत्र में अपीलांट के विरूद्ध समझौता होने बाबत कोई कार्यवाही न करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय में स्वयं का प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया था। जिस पर कोई निर्णय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया जाना नहीं पाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई व्यवस्था के अनुसार उम्र बाबत गलत दस्तावेज पेश कर प्राप्त किये गये आवंटन को चार दशक बाद खातेदारी अधिकार मिलने के बाद आवंटन निरस्त नहीं करने हेतु निर्देश दिये हुए है। जिसकी पालना किया जाना उचित होगा। ऐसी स्थिति में अपील द्वारा अपीलांट आंशिकार रूप से स्वीकार की जाती है। अपील को पुनः अधीनस्थ न्यायालय को नये सिरे से निर्णित करने हेतु प्रति प्रेषित की जाती है।

क्रियात्मक आदेश

अपील द्वारा अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन निर्णय द्वारा जिला कलक्टर टोंक प्रकरण संख्या 8/2013 निर्णय दिनांक 17.06.2015 को निरस्त किया जाता है। पत्रावली पुनः निर्णय हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रति प्रेषित की जाती है।

यह आदेश आज दिनांक 17.02.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:22:27 IST
Reason: SelfAttested